तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6819/2006/बारां मूर्ति मंदिर ठाकुरजी श्रीरघुनाथजी महाराज बनाम भैंरूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–

श्री माधवराजसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के समक्ष अधिनियम की धारा 212 के प्रकरण संख्या 08/2005 बउनवान मंदिर मूर्ति श्रीरघुनाथ जी बनाम भैंरूलाल वगैरहा की कार्यवाही में न्यायालय ने आदेश दिनांक 02–07–2005 पारित किया, उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि मूल वाद के निर्णय होने तक अस्थाई रूप से गठित कमेटी में देवस्थान के प्रतिनिधि व क्षेत्र के पटवारी को नियुक्त करने के साथ तीन मौतबीर व्यक्तियों को भी समिति में सम्मिलित करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष तहसीलदार अटरू को नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्षअ अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 11–07–2006 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6819/2006/बारां मूर्ति मंदिर ठाकुरजी श्रीरघुनाथजी महाराज बनाम भैंरूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा आराजी में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व दोनों पक्षकारान में से किसी ने भी आराजी मुतनाजा पर कमेटी गठित करने एवं कब्जा तहसीलदार को दिए जाने भी निवेदन नहीं किया गया। अतः पक्षकार की प्लीडिंग्स से बाहर जाकर न्यायालय आराजी का कब्जा तहसीलदार द्वारा गठित कमेटी को दिए जाने में भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्र दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं होना अवधारित किया है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति मेंं मुंदिर की भूमि बाबत तहसीलदार द्वारा गठित समिति को कब्जा दिलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका तर्क है कि गोरधनलाल मंदिर का पुश्तैनी पुजारी है व पीढियो से प्रार्थी का कब्जा मंदिर पर रहा है। उनका यह भी तर्क है कि वादी की इच्छा के विरूद्ध आदेश पारित करने में न्यायालयों ने भूल की है। अतः आक्षेपित आदेश अकारण तथा अस्पष्ट होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05–08–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–07–2005 को अपास्त कर विपक्षी को मंदिर के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6819/2006/बारां मूर्ति मंदिर ठाकुरजी श्रीरघुनाथजी महाराज बनाम भैंरूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाने बाबत पाबंद किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि आक्षेपित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर पारित किया है, जो कि विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध पेश की गयी निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि बाबत पक्षकारान में विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में मंदिर की भूमि बाबत तहसीलदार द्वारा गठित कमेटी का निर्णय करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रदर्शित नहीं होता है। ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रार्थी की अपील को सारहीन होना प्रकट करते हुए उसे आक्षेपित आदेश से निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है। अतः आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही सारहीन होना पायी जाती है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड व आक्षेपित आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे न्यायालय ने प्रकरण संख्या 8/2005 बउनवान मंदिर ठाकुरजी रघुनाथजी विराजमान पटना संरक्षक पुजारी गोरधन बनाम भैंरूलाल, गिर्राज, मोहन राकेश, मगतराम संस्थित किया। रेकार्ड से परिलक्षित होता है कि उक्त प्रार्थना के क्रम में न्यायालय ने आदेश दिनांक 02-07-2005 पारित करते हुए एक कमेटी गठित कर उसके अध्यक्ष तहसीलदार को अधिकृत किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6819/2006/बारां मूर्ति मंदिर ठाकुरजी श्रीरघुनाथजी महाराज बनाम भैंरूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तदनुसार कमेटी मंदिर की आराजी को कब्जे में लेकर काश्त व्यवस्था व मंदिर के तेल भोग खर्च की व्यवस्था करेगी तथा प्रतिवर्ष प्राप्त आय व्यय का ब्यौरा तैयार कर न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि मंदिर मूर्ति जन आस्था का केन्द्र है जिसमें ग्राम के समस्त वासियान का आना–जाना नियमित रूप से रहता है। चूँकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा पक्षकारान के विरोधाभास के मद्देनजर तृतीय पक्ष ही मंदिर मूर्ति की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि पक्षकारान में विरोधाभास के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पेश प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील को अपास्त किया है, अतः अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष में यह न्यायालय किसी प्रकार की अनियमितता अथवा त्रुटिकारित नहीं मानता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध पेश हस्तगत निगरानी स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय 11–07–2006 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	